



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042024-253507  
CG-DL-E-02042024-253507

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]  
No. 96]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2024/चैत्र 13, 1946  
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2024/CHAITRA 13, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2024

फा. सं. 17011/01/2023-IFS-II.—भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-I, खंड-1 में दिनांक 01 फरवरी, 2023 को प्रकाशित भारतीय वन सेवा परीक्षा नियम- 2023 के नियम 21 के नीचे निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाता है:-

"बशर्ते कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवारों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वे उम्मीदवार जिनके द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र पर नायब तहसीलदार/नायब तहसीलदार के समकक्ष प्राधिकारी के हस्ताक्षर हैं और वह भारतीय वन सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2023 के आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख से पहले जारी किया गया है, तो वे उसी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र की एक प्रति तहसीलदार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रति-हस्ताक्षरित करवाकर आयोग को आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख के बाद भी, लेकिन 16 अप्रैल, 2024 तक जमा करा सकते हैं, ताकि भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2023 के लिए उनके दावों पर विचार किया जा सके।"

महेंद्र यादव, अवर सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2024

**F. No. 17011/01/2023-IFS-II.**—In the Indian Forest Service Examination Rules-2023 published in Part 1, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary dated 1st February, 2023, the following proviso is inserted below Rule 21 :-

“Provided that in respect of candidates seeking reservation/relaxation benefits available for EWS category, it is clarified that candidates, who have submitted the requisite Income & Asset Certificate signed by the Naib Tehsildar / authority equivalent to Naib Tehsildar and issued not later than the closing date of the application for Indian Forest Service (Preliminary) Examination - 2023, may submit a copy of the same Income & Asset Certificate duly counter signed by the Tehsildar/ the Competent Authority, even after the closing date, to the Commission up to 16th April, 2024, only, in order for their claims to be considered for the Indian Forest Service Examination-2023”

MAHENDRA YADAW, Under Secy.